AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[illegible] (SDM) मुकाम [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

[illegible] 9 R4CPC नं. 183/2019 सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 9 R4 CPC का वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया गया जो पेश रजिस्टर किया गया। मुद्दा वाद तलब होकर मिसल दिनांक 11/11/2019 को पेश हो।	
11.11.19 आज श्रीमान ए.सी.एम. / एस.डी.एम. साहब छुट्टी / अवकाश पर हैं। पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली तारीख 10/12/19 को पेश हो।	
10/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री। मुद्दा मिसल तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री का पत्र पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर कथन किया कि दिनांक 16/7/19 को आवेदक द्वारा बेरहम रूप से अपमानित किया गया है अतः आवेदक बेरहम रूप से अपमानित किया गया है अतः आवेदक प्रार्थी का पत्र में उपस्थित नहीं है। अभाव प्रार्थी का पत्र खारिज हो गया। बाद अदायगी खर्चा हाजरी के खारिज हो गया। बाद अदायगी खर्चा का अवसर देते हुए मुद्दा हित में प्रार्थी के पत्र पर लिखे जाने के आदेश पारित हुआ। जीवित पत्र नम्बर पर लिखे जाने के आदेश पारित हुआ। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन चिन्तन पश्चात। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन चिन्तन किया गया व दिनांक 16/7/19 की अभिलेख का अवलोकन किया गया। बाद मनन चिन्तन एवं अवलोकन पाया गया कि वाद हित में प्रार्थी की मुद्दा वाद की सुनवाई पत्रावली लिखे जाने हेतु अवसर दिया है सुनवाई में अतः प्रार्थी वकील का आवेदन न्यायोचित है अतः प्रार्थी वकील का पत्र स्वीकार किया जाता है। मुद्दा प्रा. सं. 85/2018 अनवर जोनाराम V/s बरकिशनराम दैनिक को पुनर्जीवित कर नम्बर पर लिखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल दैनिक सुधार होकर दाखिल रिकार्ड हो। नम्बर खुला है।	

(महावीर सिंह)
R.A.S.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.20 22:32:53 IST
Reason: SelfAttested